न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./259/2025/बाड़मेर

अपीलांटः–

1. उकाराम पुत्र मंशाजी, उम्र 65 वर्ष,
2. लेखाराम पुत्र मंशाजी, उम्र 60 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

उत्तरदातागण–

1. उदाराम पुत्र मोड़ाराम, जाति प्रजापत, निवासी भूका भगतसिंह, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
2. उमाराम पुत्र पूनमाराम, जाति प्रजापत, निवासी ओगाला, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर।
3. ओमसिंह पुत्र वगतसिंह, जाति राजपूत, निवासी फोजोणियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाडमेर।
4. कमलेशसिंह पुत्र गोरधनसिंह
5. करणसिंह पुत्र धर्मेन्द्रसिंह, जातियान पुरोहित, निवासीयान जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
6. किशनलाल पुत्र धुड़ाराम जाति जाट, निवासी ओगाला, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर।
7. खातीजा पत्नी करीम खां, जाति मुसलमान निवासी ओगाला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।
8. गणपतसिंह पुत्र प्रभुसिंह, जाति राजपूत, निवासी हाऊसिंग बोर्ड, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
9. गणपतसिंह पुत्र गोरधनसिंह, उम्र 30 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी जसोल, तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
10. गोरखाराम पुत्र गंगाराम, उम्र 45 वर्ष, जाति प्रजापत, निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
11. चुकीदेवी पत्नी भीमराज, जाति जाट, साकिन गोलिया, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
12. चेतनराम पुत्र नवलाराम,
13. चेतनराम पुत्र वीरमाराम, जातियान जाट, साकिन माडपुरा, तहसील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बायतु, जिला बालोतरा।

14. चुन्नीलाल पुत्र भगवानाराम, उम्र 62 वर्ष, जाति प्रजापत, निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
15. चेनाराम पुत्र भारूराम, जाति ओसवाल, साकिन माडपुरा, तहसील बायतु, जिला बालोतरा।
16. जुठाराम पुत्र रूपाराम, जाति प्रजापत, साकिन भूका, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
17. जयसिंह पुत्र वगतसिंह, जाति राजपूत, निवासी फोजोणियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाडमेर ।
18. जोगसिंह पुत्र प्रभुसिह, जाति जाट, साकिन जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
19. डूंगरचंद पुत्र लादूराम, जाति ओसवाल, निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
20. डूंगराराम पुत्र मालाराम, जाति जाट, निवासी नई, हाल निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
21. डालूराम पुत्र उदाराम, जाति प्रजापत, साकिन भूका, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
22. तुलछाराम पुत्र नानगाराम, जाति जाट, निवासी भीमड़ा, तहसील बाटाडु, जिला बाडमेर।
23. दयाराम पुत्र चिमनाराम, जाति जाट, साकिन नाकोड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
24. देवाराम पुत्र जवानाराम, जाति प्रजापत, साकिन भूका, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर।
25. दिव्या पुत्री धर्मेन्द्रसिह, जाति पुरोहित,
26. दीपकसिंह पुत्र गोरधनसिंह, जाति पुरोहित,
27. धना खां पुत्र मेहरी खां, जाति मुसलमान
28. धींगड़मल पुत्र छोगाजी, जाति जाट
29. धीरजसिंह पुत्र धर्मेन्द्रसिंह, जाति पुरोहित, निवासींयान जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
30. नेनाराम पुत्र दाउराम, जाति जाट, निवासी माडपुरा, तहसील बायतु, जिला बालोतरा।
31. नरेन्द्रसिंह पुत्र मांगसिंह, जाति जाट, निवासी माधपुरा,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

32. पदमाराम पुत्र भीखाराम, जाति नाई, निवासी लापला, तहसील बायतु, जिला बालोतरा।
33. प्रकाश पुत्र घनश्याम, जाति ओसवाल, निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
34. पुरखाराम पुत्र उदाराम, जाति प्रजापत, निवासी भुंका, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
35. पूरणाराम पुत्र विरमाराम, जाति जाट, निवासी सियोगा हाल जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
36. प्रतापसिंह पुत्र कुन्दनसिंह, जाति राजपूत
37. प्रभुलाल पुत्र लूणाराम, जाति जाट, निवासीयान जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
38. भुराराम पुत्र लालाराम, जाति जाट, निवासी माडपुरा, तहसील बायतु, जिला बालोतरा।
39. भेराराम पुत्र मूलाराम, जाति ओसवाल, निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
40. भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह, जाति पुरोहित, निवासी माजिवाला, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
41. मिसराखां पुत्र सोना खां, जाति मुसलमान, साकिन नाकोडा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
42. राधादेवी पत्नी भोजाराम, जाति ओसवाल, निवासी भीमड़ा, बाटाडू, जिला बाडमेर।
43. रामगोपाल पुत्र उदाराम, जाति जाट, निवासी कवास, तहसील बाडमेर ग्रामीण, जिला बाडमेर।
44. रामाराम पुत्र धन्नाराम, जाति जाट, निवासी खारिया, हाल निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
45. लुम्भाराम पुत्र पुनमाराम, जाति जाट, निवासी ओगाला, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर।
46. विराराम पुत्र पदमाराम, जाति ओसवाल, निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
47. विशनाराम पुत्र हरदानराम, जाति जाट, निवासी गोलिया हाल जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
48. शंकरसिंह पुत्र गोकलसिंह, जाति राजपूत, निवासी सिणली जागीर,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा फौत के विधिक वारिशान–

48/1. दरिया कंवर पत्नी शंकरसिंह

48/2. लामुसिंह पुत्र शंकरसिंह

48/3. हेमसिंह पुत्र शंकरसिंह

48/4. गणपतसिंह पुत्र शंकरसिंह

48/5. पुष्पाकंवर पुत्री शंकरसिंह

48/6. एवन कंवर पुत्री शंकरसिंह, जातियान राजपूत, निवासीयान सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

49. संतोष कंवर पत्नी धर्मेन्द्रसिंह, जाति पुरोहित, निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

50. संतोष कंवर पत्नी उदयसिंह, जाति राजपूत, निवासी आवासन मण्डल, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

51. सुन्दरदेवी पत्नी धींगड़मल, जाति जाट, निवासी ओगाला, तहसील चौहटन, जिला बाडमेंर।

52. सीतादेवी पत्नी गोरधनसिंह, जाति पुरोहित, निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा (सीतादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके वारिशान पहले से ही पक्षकार है। मात्र क्रम संख्या रखने हेतु नाम रिकोर्ड में रखा गया है)।

53. हड़मतसिंह पुत्र वगतसिंह, जाति राजपूत, निवासी फोजोणियों की ढाणी, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेंर।

54. हेमसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

55. हेमाराम पुत्र लूम्बाराम, जाति जाट, निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

56. हरीसिंह पुत्र गोरधनसिंह

57. पांचीदेवी पत्नी शंकरलाल, जातियान् पुरोहित, निवासीयान् जसोल तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

58. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

59. पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह पुत्र दुर्गा, जाति राजपुरोहित, निवासी सिवाना फौत के विधिक वारिसान–

59/1. भूरसिंह पुत्र पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

59/2. बाबुसिंह पुत्र पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह

59/3. दयालसिह पुत्र पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह

59/4. तगूदेवी पत्नी पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह जातियान पुरोहित निवासीयान मांजीवाला, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

59/5. चूकीदेवी पुत्री पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह पत्नी शंकरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी असाड़ा।

59/6. कमलादेवी पुत्री पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह पत्नी मोहनसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी 1070 साचौला मध्य, इन्द्राणा तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

60. जसराज पुत्र नेमा

61. गोविन्दसिंह पुत्र नेमा

62. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र नेमा, जातियान राजपुरोहित, निवासीयान माजीवाला, तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/1999 (73/2023) बउनवान उकाराम वगैरह बनाम उदाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री सुनील के. मेराजा अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पों. संख्या 59 के समस्त का. मुकामान से रेस्पों. संख्या 62 की ओर से।
3. वकील श्री डालूराम चौधरी रेस्पों. संख्या 43 की ओर से।
4. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—21.11.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा जसोल, तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 344 रकबा 276.01 बीघा अवस्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पर अपीलाण्ट/वादीगण के पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, पर्चा लगान के अनुसार लाला, हाथी पिसरान् खुशाला का 1/4 हिस्सा, लक्ष्मण वल्द वना का 1/4 हिस्सा, पीथा, नेमा पिसरान दरगा, मथरा बेवा भोमा, सीताराम वल्द हेमा का 1/8 हिस्सा, पुरखा, बुधा पिसरान चेला का 1/32 हिस्सा, गोरधन, पुनमा, जेठा पिसरान हाथी का 1/32 हिस्सा, पीथा वल्द राजू का 1/16 हिस्सा दर्ज है, इस सम्बन्ध में वादीगण/अपीलाण्ट के हिस्से गलत दर्ज हो रखे हैं। जबकि वास्तविक्ता में हाथी का 3/8 हिस्सा दर्ज होना था हाथी के दो पुत्र वादीगण के पिता मंशाराम व शंकर है शंकर द्वारा अपना 1/16 वां हिस्सा बेचान करने के उपरान्त वादीगण का कुल हिस्सा 5/16 निहित है शंकर कुआरा फौत हो जाने से उसका वैध हिस्सा वादीगण में निहित हो गया। तत्कालीन सेटलमेन्ट अधिकारियों को हाथी का 1/4 हिस्सा पृथक से दर्ज करना चाहिए था किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियो की भूल के चलते खुशाला के दो पुत्र लाला व हाथी का संयुक्त रूप से अशुद्ध हिस्सा 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि वक्त सेटलमेन्ट से हाथी का 3/8 हिस्से पर कब्जा काश्त था। परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा केवल 1/8 हिस्सा ही गलत दर्ज किया गया है। सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा दर्ज हिस्से को अगर जोड़ा जावे तो भी कुल ईकाई 3/4 हिस्सा बनता है इस प्रकार 1/4 हिस्सा रिकोर्ड में कम दर्ज हुआ है जो कि वादीगण/अपीलाण्ट के हक पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज होना चाहिए था अन्य खातेदारों का हिस्सा सही दर्ज था व इसी आधार पर कई खातेदारों ने अपने हिस्से प्रतिवादीगण के नाम बेचान कर दिये हैं। वर्तमान में वादीगण अपने वास्तविक हिस्से के अनुसार ही भूमि पर काबिज है वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादीगण को राजस्व रिकोर्ड में वादीगण का हिस्सा दुरूस्ती करवाने का निवेदन करने पर भी उन्होने हिस्सा दुरूस्ती हेतु सहमति नहीं दी। जिस हेतु वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आलोच्य वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे अपीलांट/वादी के हितों पर कुठाराघात हुआ है जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा जसोल, तहसील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पचपदरा के मूल खसरा संख्या 344 रकबा 276.01 बीघा अवस्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट/वादीगण के पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, पर्चा लगान के अनुसार लाला, हाथी पिसरान् खुशाला का 1/4 हिस्सा, लक्ष्मण वल्द वना का 1/4 हिस्सा, पीथा, नेमा पिसरान दरगा, मथरा बेवा भोमा, सीताराम वल्द हेमा का 1/8 हिस्सा, पुरखा, बुधा पिसरान चेला का 1/32 हिस्सा, गोरधन, पुनमा, जेठा पिसरान हाथी का 1/32 हिस्सा, पीथा वल्द राजू का 1/16 हिस्सा दर्ज है, इस सम्बन्ध में वादीगण/अपीलाण्ट के हिस्सें गलत दर्ज हो रखे हैं। जबकि वास्तविक्ता में हाथी का 3/8 हिस्सा दर्ज होना था हाथी के दो पुत्र वादीगण के पिता मंशाराम व शंकर हैं। शंकर द्वारा अपना 1/16 वां हिस्सा बेचान करने के उपरान्त वादीगण का कुल हिस्सा 5/16 निहित है शंकर कुआरा फौत हो जाने से उसका वैध हिस्सा वादीगण में निहित हो गया। तत्कालीन सेटलमेन्ट अधिकारियों को हाथी का 1/4 हिस्सा पृथक से दर्ज करना चाहिए था किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों की भूल के चलते खुशाला के दो पुत्र लाला व हाथी का संयुक्त रूप से अशुद्ध हिस्सा 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि वक्त सेटलमेन्ट से हाथी का 3/8 हिस्से पर कब्जा काश्त था। परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा केवल 1/8 हिस्सा ही गलत दर्ज किया गया है। सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा दर्ज हिस्से को अगर जोड़ा जावे तो भी कुल ईकाई 3/4 हिस्सा बनता है इस प्रकार 1/4 हिस्सा रिकोर्ड में कम दर्ज हुआ है जो कि वादीगण/अपीलाण्ट के हक पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज होना चाहिए था अन्य खातेदारों का हिस्सा सही दर्ज था व इसी आधार पर कई खातेदारों ने अपने हिस्से प्रतिवादीगण के नाम बेचान कर दिये हैं। वर्तमान में वादीगण अपने वास्तविक हिस्से के अनुसार ही भूमि पर काबिज हैं। वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादीगण को राजस्व रिकोर्ड में वादीगण का हिस्सा दुरूस्ती करवाने का निवेदन करने पर भी उन्होने हिस्सा दुरूस्ती हेतु सहमति नहीं दी। जिस हेतु वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आलोच्य वाद प्रस्तुत किया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन डाक से नोटिस प्रेषित किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन से नहीं होने पर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु स्थानीय अखबार में दिनांक 02.04.2024 को सम्मन छायाकंन करवाए गए। जिस पर प्रतिवादी संख्या 57 व 59 से 62 की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया साथ ही जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया। साथ ही प्रतिवादी संख्या 48/1 से 48/6 व 56 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी/उतरदाता संख्या 57 व 59 से 62 के अलावा के समस्त रेस्पों./प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय

(नवनी...)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने में मुख्यतः पर्चा खतौनी के दस्तावेज प्रदर्श ए–5 को मुख्य आधार माना है जबकि वादग्रस्त आराजी के मूल खसरा नम्बर 344 की पर्चा खतौनी सम्वत 2010 (सन् 1954) में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी किया गया था, जो प्रदर्श–4 है। बाडमेर (वर्तमान बालोतरा) जिले में सेटलमेन्ट की कार्यवाही सम्वत 2010 से 2018 तक की गई थी। उत्तरदातागण द्वारा वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से की भूमि को हड़प करने के दुराशय से गलत एवं कूटरचित तरीके से एक अलग पर्चा खतौनी सम्वत् 2006 (1949) को जारी करवाई है जबकि सम्वत् 2006 में कोई सेटलमेन्ट कार्यवाही जसोल ग्राम की नहीं की गई थी और न ही सम्वत 2006 में कोई खसरे कायम किये थे। साथ ही राजस्थान में जागीदारी प्रथा का उन्मूलन वर्ष 1952 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। वादग्रस्त आराजी जसोल गांव में अवस्थित है। जसोल जागीदारी गांव था जिसमें पक्षकारान डोलीदार की हैसियत से वादग्रस्त आराजी सहित अन्य खसरान की भूमियों पर काबिज थे। डोलीदार के अधिकारों को ही वर्ष 1952 में जागीदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 के द्वारा अवसान कर भूमि की पैमाईश की गई थी। ऐसी स्थिति में स्थापित रूप से बाडमेर जिले के जसोल गांव में सम्वत् 2010 के पश्चात् ही सेटलमेन्ट की कार्यवाही प्रारभ की गई थी ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–ए–5 दस्तावेज के अवलोकन से भी उक्त दस्तावेज गलत एवं मिथ्या होना प्रमाणित होता है क्योंकि उक्त पर्चा खतौनी में मुनसरिम बालोतरा के रूप में पुखराज शर्मा के हस्ताक्षर हैं जबकि मुनसरिम साहब की पोस्ट जिला न्यायालय बालोतरा में है जिसका सेटलमेन्ट कार्यवाही में कोई भागीदारी नहीं होती है। साथ ही जसोल के एक ग्राम में वादग्रस्त खसरान की मूल आराजी खसरा नम्बर 344 की एक ही पर्चा खतौनी जारी की जा सकती है जो सम्वत 2010 (सन् 1954) में जारी की गई थी जो अपीलाण्ट द्वारा प्रदर्श–4 के रूप में प्रस्तुत की गई है। जिसके आधार पर ही बाद में वादग्रस्त आराजी की सम्वत 2010 की व पश्चातवर्ति चौसाला जमाबंदिया जारी की गई हैं उक्त सही पर्चा खतौनी में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 344 में खातेदारान् "लाला, हाथी पिसरान खुशाला हिस्सा 1/4, लक्ष्मण पुत्र बना हिस्सा 1/4, पीथा, नेमा पिसरान दुरगा मु. मथरा बेवा भोमा, सीताराम पुत्र हेमा हिस्सा 1/8, पुरखा, बुधा पिसरान चेला हिस्सा 1/32, गोरधन, पुनमा, जेठा पिसरान हाथी हिस्सा 1/32, व पीथा पुत्र राजू हिस्सा 1/16 कौम प्रोहित सा. देह डोलीदार" दर्ज है जबकि उत्तरदाता पीथा, नेमा के वारिसान द्वारा गलत रूप से तैयार अन्य पर्चा खतौनी में पीथा, नेमा पिसरान दुरगा, मु. मथरा बेवा भोमा 1/4 व सीताराम पुत्र हेमा 1/8 हिस्सा दर्ज किया है। जो वास्तविक पर्चा खतौनी बाद की जमाबंदियों के अवलोकन से गलत होना स्थापित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

होता है साथ ही एक ही खसरान के लिए सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दो अलग–अलग पर्चा खतोनी अर्थात प्रदर्श–4 व प्रदर्श ए–5 जारी नहीं किये जा सकते इसलिए प्रदर्श–ए–5 पर्चा खतौनी सही नहीं होकर कूटरचित है, जिसकी सत्यता पर संदेह है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिकी पर्चा उक्त मिथ्या एवं गलत पर्चा खतौनी को आधार मानकर पारित किया गया है, जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि अपीलाधीन निर्णय व डिकी पर्चा कूटरचित, मिथ्या दस्तावेज पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकार्ड के वक्त सेटलमेन्ट संधारण के समय जो हिस्से खातेदारान के घोषित किये जाते थे वह पक्षकारान के वास्तविक हक अधिकारों का निर्धारण करने के वाद किये जाते थे। वादग्रस्त आराजी में पीथा नेमा पिसरान दुर्गा व मथरा बेवा भोमा एवं सीताराम पुत्र हेमा का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा इसलिए दर्ज किया गया था क्योंकि उक्त पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य थे। जिस अनुसार पीथा, नेमा व मथरा का जो हिस्सा था वह सीताराम के बराबर था इसी कारण वादग्रस्त आराजी मे पीथा व नेमा ने जो बेचान किया उसमें अपने 1/8 हिस्से में स्वंय का 1/16 हिस्सा मानकर बेचान किया एवं 1/16 हिस्सा सीताराम का बताया। उक्त के विरूद्ध आलोच्य निर्णय में पीथा व नेमा को 1/4 हिस्सा व सीताराम को 1/8 हिस्सा दिया जाता है तो यह किसी रूप में न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उतरदाता संख्या 57 व 59 से 62 द्वारा जो प्रतिदावा पेश किया गया था उसके तथ्य वास्तविक सजरे के विरूद्ध होने से स्वीकार योग्य नहीं रहते हैं। वास्तविक रूप से पीथा, नेमा व मथरा एवं सीताराम का वादग्रस्त आराजी में सयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा था। इसी अनुसार उक्त पक्षकारान अपने जीवन काल में वादग्रस्त आराजी पर कायम रहे एवं अपने 1/8 हिस्से का अलग अलग बेचान करने के पश्चात नेमा, मथरा व देवीजी पुत्र सीताराम ने अपने जीवन काल में कभी भी वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा पाने का कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं की। उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय सामयिक एवं प्राकृतिक न्याय के स्थापितः सिद्धान्तों व प्रतिवादीगण के पारिवारिक सजरे के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय व डिकी द्वारा वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा उत्तरदाता संख्या 59 से 62 के पक्ष में घोषित किया है जबकि प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 59 से 62 वादग्रस्त आराजी में रिकोर्डेड खातेदार नहीं है एवं न ही उत्तरदाता संख्या 59 से 62 द्वारा न तो बहस की गई, एवं न ही कोई अनुतोष चाहा गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में उक्त तथ्यों की अनदेखी की गई है। उक्त के अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पूर्वज लाला व हाथी पिसरान खुशाला का क्रमशः 1/4–1/4 हिस्सा था इसी अनुसार वादीगण अपने पूर्वज लाला व हाथी का देहान्त होने पर वादग्रस्त आराजी में उनके विधिक रूप से 1/4–1/4 हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से काबिज है प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 59 से 62 के पूर्वजों पीथा व नेमा द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बेचान कर जब बेचाननामा में ही यह स्पष्ट अंकित किया कि वादग्रस्त आराजी में अब पीथा व नेमा अर्थात विक्रेता व उनकी आल औलाद का कोई हक हिस्सा या कब्जा नहीं है। उपरोक्त आधारों के अवलोकन से यह स्थापित है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज जमाबंदी में खातेदारान् के हिस्सों की अनदेखी करने के साथ ही मौके पर वादीगण/अपीलाण्ट के वक्त सेटलमेन्ट से कायम कब्जे–काश्त को अनदेखा करते हुए जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में खातेदार ही नहीं है उन्हे खातेदारी अधिकार प्रदान कर वादीगण/अपीलाण्ट को अपने पूर्वजों की पैतृक भूमि सें वंचित किया है जो न्यायोचित नहीं हैं। साथ ही उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जो पर्चा खतोनी वास्तव में जारी हुई है वह प्रदर्श–4 है जिसके आधार पर ही पश्चातवर्ती राजस्व रिकोर्ड आज दिन तक संधारित हो रहे हैं इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक मिथ्या एवं कूटरचित तरीके से तैयार पर्चा खतौनी प्रदर्श–ए–5 को एक मात्र आधार मानकर आलोच्य आदेश पारित किया है जिसमें विधि एवं तथ्यों की भारी भूल करते हुए पारित किया है।

उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सिविल प्रक्रिया के वाद निस्तारण के प्रावधानों, नेचुरल जस्टिस (सुने जाने का अधिकार) को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए पारित किया गया है। जो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात है। क्योंकि अपीलांट्स के जन्म से प्राप्त पैतृक हितों पर कुठाराघात करते हुए राजस्व रेकार्ड पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि से विपरीत है। उक्त समस्त तथ्यों अनुसार अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांट द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजों पर गौर किये बिना बाले–बाले ही पारित की गई। जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं मिलावट युक्त आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत प्रकरण को प्रतिवादी के साक्ष्य में रखा गया। जिस पर प्रतिवादी/रेस्पों के

(नवनीत कु...)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिस पर विधि अनुसार वर्णन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत जवाब, साक्ष्य एवं गवाह–बयानों के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट का हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। तनकीयात अनुसार हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर रेस्पों. का ही वक्त सेटलमेंट से लगातर निर्विवाद रूप से काब्जा–काश्त रहा है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कभी कब्जा रहा हो इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक सबूत अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। जहां तक अपीलांट का खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकार का प्रश्न है उक्त के सबंध में निवेदन है कि अपीलांट का हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। वादीगण का हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। वक्त सेटलमेंट में रेस्पों. के कब्जा–काश्त अनुसार खातेदारी दर्ज की गई है। वादीगण द्वारा कम दर्ज 1/4 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है उसमें वादीगण पक्ष की ओर से अपने वाद के समर्थन में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य यथा–गिरदावरी पेश नहीं कर पाए, जिससे यह साबित होता है कि वादीगण का वक्त सेटलमेंट से आज दिनांक तक 3/8 हिस्सा पर कब्जा–काश्त है। वादी पक्ष की ओर से अपने वाद को साबित करने के लिए केवल मौखिक कथन किए है, मौखिक कथनों के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य होना अति आवश्यक होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य केवल पर्चा लगान प्रदर्श–04 के इन्द्राज की प्रविष्टियां को दोहराने की प्रस्तुत की गई है जो कि अपने आप में रेकार्ड संधारण की प्रक्रिया दस्तावेज हैं। वादी पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो, कि लाला, हाथी पिसरान् खुशालजी का 1/4 हिस्सा न होकर 3/8 हिस्सा होना चाहिए था। इसके विपरीतं प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–4 पर्चा खतौनी संवत 2006 अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है, कि वादीगण के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट सही हिस्सा दर्ज हुआ है और प्रतिवादी पीथा, नेमा पिसरान् दुरगा व मथरा बेवा भोमा का 1/4 हिस्सा होने के उपरांत सेटलमेंट विभाग द्वारा तत्समय रेकर्ड संधारण करते समय इनका हिस्सा विलोपित करते हुए सीताराम वल्द हेमा के साथ नाम अंकन किया गया। उक्त गलत प्रविष्टि इंन्द्राज के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हुए, जो कि एक गणितीय त्रुटि है। साथ ही विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि भू–प्रबंध द्वारा पूर्व में की गई प्रविष्टियों को ही एक समान रूप से दोहराव करना होता है, बिना किसी सक्षम न्यायालय के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आदेश के प्रविष्टियों में बदलाव का अधिकार भू–प्रबंन्ध विभाग को नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड में अशुद्ध प्रविष्टि के आधार पर किसी खातेदार के खातेदारी हक समाप्त नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार यह भली–भांति साबित है कि वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध लिपिकीय शेष हिस्सा 1/4 पीथा, नेमा के वारिसान् अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के हकदार हैं, क्योंकि बिना किसी ठोस आधार के उसमें परिवर्तन कर खातेदारी को कम करना न्यायसंगत एव विधि सम्मत् नहीं ठहराया जा सकता है। उक्तानुसार मात्र स्वयं के मौखिक निवेदन अनुसार खातेदारी घोषणा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि रेस्पों. द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का समस्त हिस्से का बेचान किया जा चुका है। अगर समस्त हिस्सा बेचान कर दिया गया है तो अपीलांट द्वारा वर्तमान में मौका व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति का अनुतोष क्यों चाहा जा रहा है ? अतः अपीलांट के उक्त कथन में कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए पूर्णतया विधि सम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस एवं रेस्पों. को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार गवाह बयान व साक्ष्य, सबूत के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए विधि संगत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिससे हाजा न्यायालय को प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेंट के दस्तावेजात को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत होता है क्योंकि सेटलमेंट दस्तावेज राजस्व न्यायालयों का आधारभूत दस्तावेज हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/1999 (73/2023) बउनवान उकाराम वगैरह बनाम उदाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2025 को यथावत रखा जाता है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर